

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
9वां तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,  
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ. 53(०१)/ अता प्र.सं. २२/ तृतीय सत्र (बजट सत्र-2022) / दिविस/ श.वि./ २०८५ दिनांक: 25/3/2022  
सेवा में,  
to  
2087

उप सचिव (प्रश्न शाखा),  
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:- दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) अतारांकित प्र. स. २२ माननीय विधायक  
श्री डिशेष राहि, दिनांक 28.03.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्घृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित।

उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

**शहरी विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**  
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री विशेष रवि

दिनांक : 28.03.2022

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या : 22

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या अनुसूचित जाति की ऐसी महिला जिसने सामान्य वर्ग के व्यक्ति से विवाह किया हो, किसी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित (रोटेशन) सीट से नगर निगम का चुनाव लड़ सकती है;	राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के आदेश 1951 में जो अनुसूचित जातियों शामिल है, केवल उसी वर्ग उम्मीदवार नामांकन पत्र भर सकते हैं।
ख	क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद दिल्ली नगर निगमों को विधायकों के विवरण वाले बोर्डों, आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित बोर्डों को मिटाने/रंगने और राजनीतिक होर्डिंग्स को हटाने के कोई निर्देश दिए गए हैं;	राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा से लागू होती है।
ग	यदि हाँ, तो इन दिशा निर्देशों/निर्देशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ, और	
घ	क्या निर्देशों में ऐसे बोर्डों को केवल काले रंग से रँगने के लिए कहा गया है?	



Dy. Secretary (U.D./P.C.)  
 Govt. of N.C.T. of Delhi  
 Delhi Secretariat  
 I.P. Estate, New Delhi-02